



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238262
CG-DL-E-22082022-238262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3727]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944

No. 3727]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3901(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में एनएच-49 एक्सटेंशन पर एलसी-68 (थेनी के पास) के स्थान पर किमी 75.228 से 76.273 तक आरओबी का निर्माण हेतु का.आ.3647(अ) दिनांक 03.08.2022 उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,-

(क) "राजस्व मंडल अधिकारी, पेरियाकुलम" शब्दों के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएचएआई, थेनी" शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे

संशोधन में सुधार

[फा. सं. RW-MD/TN/NH-49Extn/ROB/2B/2015-16]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3901(E). — In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule in S.O. 3647(E) dated 03.08.2022 for Construction of ROB from km 75.228 to 76.273 in lieu of LC-68 (near Theni)on NH-49Extn in district of Theni in the State of TAMIL NADU.

In the preamble to the said Notification,-

(a) for the words “Revenue Divisional Officer Periyakulam,” the words, brackets and letters“Special District Revenue Officer, (LA),NHAI, Theni” shall be substituted;

Correction in amendment

[F. No. RW-MD/TN/NH-49Extn/ROB/2B/2015-16]

RAJESH GUPTA, Director